

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार

अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

टेलिफोन नं. 022-28922144/28291413/2820-143

फैक्स: 022-28291754 ई-मेल: dcseepz@seepz.gov.in

सीपज़/सेज़/ईएमएस/डब्लूटी/जीसी/67/2014-15

दिनांक: 23.7.2015

परिपत्र संख्या. 12 /2015

विषय:- कचरे के निपटान की कार्यविधि

- कचरा हटाने के लिए सफल बोलीदाता केयरटेकर से गेटपास/चालान ले ।
- कचरा हटाने के बाद केयरटेकर को कचरे स्क्रेप का विवरण दिया जाए ।
- केटरटेकर बिल के भुगतान के लिए चालान की कापी संपदा अनुभाग को देगा ।
- संपदा अनुभाग के बाद बिल अनुभाग उसी दिन के अंदर स्क्रेप का बिल तैयार करेगा ।
- सफल स्क्रेप डीलर अगली खेप के पहले भुगतान करेगा ऐसा न करने पर पिछला भुगतान न किए जाने तक गेट पास / चालान जारी नहीं किया जाएगा ।
- सफल बोलीदाता को कचरा/स्क्रेप इसट्टा करने के लिए विभिन्न यूनिटों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि वह ऐसा करता हुआ पाया जाता है कि उसका ठेका तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा । .
- प्रत्येक सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को निश्चित डंपिंग स्थान से निपटान किया जाएगा ।
- सीपज़ केयरटेकर की निगरानी में स्क्रेप के लदान की वीडिओग्राफी की जाएगी ।



(वी.पी.शुक्ल)

उप विकास आयुक्त

तथा

संपदा प्रबंधक

सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि,

1. सभी केयरटेकर
2. ईएम अनुभाग
3. ईएम बिल अनुभाग
4. सुरक्षा अनुभाग
5. मेसर्स ए.ए. स्क्रेप
- ✓ 6. आइटी अनुभाग अपलोडिंग के लिए